

**यथा 30 सितंबर 2015 को निदेशक मंडल एवं बोर्ड की विभिन्न समितियों
का गठन व उनके कार्य**

1 निदेशक मंडल की संरचना

बैंक के निदेशक मंडल का दायरा व्यापक है और इसका गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, कंपनी अधिनियम, 2013, बैंक के संस्था अंतर्नियमों से शासित है तथा यह स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्धता करार में वर्णित कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं को पूरा करता है.

बोर्ड स्वयं और बैंक के महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने के लिए गठित बोर्ड की विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है. आज की तारीख तक बोर्ड में 7 सदस्य हैं तथा इसकी 16 समितियां हैं. इनके विवरण नीचे दिए गए हैं :

(i) निदेशक मंडल

निदेशक का नाम	पदनाम
श्री किशोर पिराजी खरात	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
श्री बाल कृष्ण बत्रा	उप प्रबंध निदेशक
सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव	गैर-कार्यपालक निदेशक (सरकारी निदेशक)
श्री रवि सेथुरथनम	स्वतंत्र निदेशक
श्री निनाद भालचंद्र कर्पे	स्वतंत्र निदेशक
श्री पंकज वत्स	स्वतंत्र निदेशक
श्री ज्ञान प्रकाश जोशी	स्वतंत्र निदेशक

(ii) समितियां

निदेशक मंडल की 16 समितियों का गठन व उनके कार्य निम्नानुसार हैं:

I. कार्यपालक समिति

कार्यपालक समिति में चार निदेशक हैं . यह समिति नीतिगत तथा ऐसे मामलों को छोड़कर जिन पर कंपनी अधिनियम , बैंककारी विनियमन अधिनियम और बैंक के संस्था अंतर्नियमों के तहत बोर्ड विचार करता है , शेष सभी मामलों पर विचार करती है .

कार्यपालक समिति निदेशक मंडल द्वारा प्रत्यायोजित किए गए अधिकारों का उपयोग कर सकती है.

कार्यपालक समिति के कार्यों में कॉरपोरेटों की देयताओं की पुनर्संरचना और उनकी बकाया राशियों का निपटान शामिल है . कार्यपालक समिति के पास ऋण प्रस्तावों के अनुमोदन का पूर्ण अधिकार है . कार्यपालक समिति रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए समीक्षा कैलेंडर के अनुसार विभिन्न परिचालनात्मक मदों की समीक्षा पर विचार करती है.

आज की तारीख तक कार्यपालक समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :

- श्री किशोर खरात - प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- श्री बी. के. बत्रा - उप प्रबंध निदेशक
- श्री एस. रवि - स्वतंत्र निदेशक
- श्री निनाद कर्पे - स्वतंत्र निदेशक

II. लेखा-परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति में छह निदेशक हैं , जिनमें चार स्वतंत्र निदेशक हैं . लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक व अर्हताप्राप्त सनदी लेखाकार हैं . जब भी आवश्यक होता है , बैंक के वरिष्ठ कार्यपालकों को लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है . लेखापरीक्षा समिति प्रबंधन तथा बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य देखने वाली सांविधिक व आंतरिक लेखापरीक्षकों के बीच मध्यस्थता का कार्य करती है. लेखा परीक्षा समिति के कार्य कंपनी अधिनियम , 2013 तथा सूचीबद्धता करार के खंड 49 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं.

आज की तारीख तक लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

- श्री एस. रवि - अध्यक्ष (स्वतंत्र निदेशक)
- श्री बी. के. बत्रा - उप प्रबंध निदेशक
- सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव - सरकारी निदेशक
- श्री निनाद कर्पे - स्वतंत्र निदेशक
- श्री पंकज वत्स - स्वतंत्र निदेशक
- श्री ज्ञान प्रकाश जोशी - स्वतंत्र निदेशक

III. कारोबार समीक्षा समिति (बीआरसी)

कारोबार समीक्षा समिति का गठन कार्य-सूची के कुछ मदों की संपुष्टि / को अनुमोदित करने के अलावा समीक्षा और रिपोर्टिंग मदों एवं पूर्व में बोर्ड को प्रस्तुत सूचनार्थ मदों पर संकेंद्रित चर्चा के लिए किया गया है . बोर्ड कारोबार समीक्षा समिति (बीआरसी) के कार्यवृत्त को नोट करने के दौरान इन मदों पर हुई चर्चा को प्रेक्षित एवं रिकॉर्ड करता है . समिति के कार्य में बिना किसी अनुमोदन/ संपुष्टि/ रणनीति के तथा केवल सूचनार्थ प्रस्तुत की जाने वाली समीक्षा मदों (कैलेंडर समीक्षाओं सहित) और सचिवालयीन रिपोर्टिंग के अलावा रिपोर्टिंग के लिए प्रस्तुत के जाने वाली अन्य मदों पर चर्चा करना भी शामिल है.

आज की तारीख तक कारोबार समीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

- श्री किशोर खरात – प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- श्री बी. के. बत्रा – उप प्रबंध निदेशक
- श्री एस. रवि – स्वतंत्र निदेशक
- श्री पंकज वत्स – स्वतंत्र निदेशक
- श्री ज्ञान प्रकाश जोशी – स्वतंत्र निदेशक

IV. शेयरधारक संपर्क समिति

शेयरधारक संपर्क समिति में वर्तमान में तीन निदेशक हैं , जिनमें से दो स्वतंत्र निदेशक हैं. यह समिति मुख्यतः शेयरधारकों एवं निवेशकों की शेयरों के अंतरण , वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने , घोषित लाभांश प्राप्त नहीं होने आदि से संबंधित शिकायतों का निवारण करती है . आज की तारीख तक शेयरधारक संपर्क समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

- श्री पंकज वत्स – अध्यक्ष (स्वतंत्र निदेशक)
- श्री बी. के. बत्रा – उप प्रबंध निदेशक
- श्री एस. रवि – स्वतंत्र निदेशक

V. जोखिम प्रबंध समिति

जोखिम प्रबंध समिति में वर्तमान में चार निदेशक हैं . इस समिति के मुख्य निबंधन व कार्यों में बैंक के कारोबार से जुड़े विभिन्न जोखिमों का आकलन करना और आस्ति देयता असंतुलन से जुड़े मुद्दों का समाधान करने संबंधी कार्य करना शामिल है.

आज की तरिख तक जोखिम प्रबंध समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

- श्री एस. रवि – अध्यक्ष (स्वतंत्र निदेशक)
- श्री बी. के. बत्रा – उप प्रबंध निदेशक
- श्री निनाद कर्पे – स्वतंत्र निदेशक
- श्री ज्ञान प्रकाश जोशी - स्वतंत्र निदेशक

VI. धोखाधड़ी निगरानी समिति

रिज़र्व बैंक के 14 जनवरी 2004 के दिशा- निर्देशों के अनुसरण में बैंक में धोखाधड़ी निगरानी समिति गठित की गई है एवं इस समिति में पांच सदस्य हैं . इस समिति का मुख्य कार्य 10 मिलियन व इससे अधिक रुपए के सभी धोखाधड़ी प्रकरणों की निगरानी व समीक्षा करना है, ताकि

- प्रणाली से जुड़ी उन कमियों , यदि कोई हो , का पता लगाया जा सके , जिनके कारण धोखाधड़ी को बल मिलता है , साथ ही उन्हें दुरुस्त करने तथा /या रोकने के लिए आवश्यक उपाय करना;
- मामलों का पता चलने तथा इनके संबंध में बैंक के प्रबंधन व रिज़र्व बैंक को सूचित करने में देरी होने, यदि कोई हो, के कारण तलाशना;
- धोखाधड़ी प्रकरणों की केन्द्रीय अन्वेषन ब्यूरो तथा / अथवा पुलिस जांच व वसूली स्थिति की प्रगति पर निगरानी रखना;
- यह सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तर पर स्टाफ की जवाबदेही की जांच की जाए तथा जरूरत पड़ने पर स्टाफ के विरुद्ध अविलंब आवश्यक कार्रवाई की जाए; और
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति के रोकथाम संबंधी उपायों जिसमें बैंक में आंतरिक नियंत्रण के सुदृढ करने जैसे अन्य उपाय शामिल , के लिए सुधा रात्मक कार्रवाई की प्रभावशीलता की समीक्षा करना.

आज की तारीख तक धोखाधड़ी निगरानी समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

- श्री किशोर खरात – प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- श्री बी. के. बत्रा – उप प्रबंध निदेशक
- श्री एस. रवि – स्वतंत्र निदेशक

- श्री निनाद कर्पे - स्वतंत्र निदेशक
- श्री ज्ञान प्रकाश जोशी - स्वतंत्र निदेशक

VI. ग्राहक सेवा समिति

बैंक की ग्राहक सेवा समिति का गठन रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में नियमित रूप से सुधार और ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए किया गया है . रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राहक सेवा समिति की प्राथमिक जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं :

- बैंक की व्यापक जमा नीति का निर्धारण , जमाकर्ता के निधन पर उसके खाते के परिचालन संबंधी मामले शामिल करना;
- योजना अनुमोदन प्रणाली;
- जमाकर्ता संतुष्टि के संबंध में वार्षिक सर्वे; और
- उक्त सभी सेवाओं की त्रिवार्षिक लेखा-परीक्षा

आज की तारीख तक ग्राहक सेवा समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं

- श्री किशोर खरात – प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- श्री बी. के. बत्रा – उप प्रबंध निदेशक
- सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव – सरकारी निदेशक
- श्री ज्ञान प्रकाश जोशी – स्वतंत्र निदेशक

VII. सूचना प्रौद्योगिकी समिति

बैंक ने तकनीकी प्लेटफॉर्म को स्थापित करने के लिए एक सूचना प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया है . इसका उद्देश्य ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करना; दृष्टिकोण को सुसंगत बनाने में सहायता करना ; नई योजनाएं शुरू करना और सेवाओं को प्रदान करना है . आज की तारीख तक सूचना प्रौद्योगिकी समिति में तीन सदस्य हैं :

- श्री निनाद कर्पे – अध्यक्ष (स्वतंत्र निदेशक)
- श्री बी. के. बत्रा – उप प्रबंध निदेशक
- श्री पंकज वत्स – स्वतंत्र निदेशक

IX पारिश्रमिक समिति

बोर्ड की पारिश्रमिक समिति का गठन भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों को वार्षिक कार्य निष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन का भुगतान करने के लिए किया गया है . इसके अलावा, पारिश्रमिक समिति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार अपने अधिदेश को भी पूरा करेगी . आज की तारीख तक इस समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं

- सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव – अध्यक्ष (सरकारी निदेशक)
- श्री एस. रवि – स्वतंत्र निदेशक
- श्री निनाद कर्पे – स्वतंत्र निदेशक
- श्री पंकज वत्स – स्वतंत्र निदेशक

X नामांकन समिति

निदेशकों की नियुक्ति संबंधी नीति , जिसमें निदेशकों की अर्हता, सकारात्मक गुण तथा उनकी स्वतंत्रता निर्धारित करने के लिए मानदंड , उनके कार्यनिष्पादन की समीक्षा एवं मूल्यांकन आदि शामिल हैं , तैयार करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 का अनुपालन करते हुए नामांकन समिति का गठन किया गया.

आज की तारीख तक इस समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

- श्री निनाद कर्पे – अध्यक्ष (स्वतंत्र निदेशक)
- श्री एस. रवि – स्वतंत्र निदेशक
- श्री पंकज वत्स – स्वतंत्र निदेशक

XI. मानव संसाधन संचालन समिति

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 21 अक्टूबर 2011 के पत्र द्वारा खंडेलवाल समिति की सिफारिशों के आधार पर यह सूचित किया था कि मानव संसाधन मामलों के लिए बोर्ड की एक संचालन समिति का गठन होना चाहिए , जिसमें प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशकों के अलावा एक सरकारी निदेशक एवं दो श्रेष्ठ एचआर व्यावसायिक व्यक्ति होने चाहिए. तदनुसार बैंक ने अपनी 31 जनवरी 2012 की बोर्ड

बैठक में मानव संसाधन संबंधी निम्नलिखित मामलों के लिए बोर्ड की एक संचालन समिति का गठन किया

- भर्ती, प्रशिक्षण से संबंधित नीतियां;
- कार्यनिष्पादन प्रबंध, मुआवजा और कैरियर विकास की पहल;
- प्रबंध विकास और उत्तराधिकार योजना; तथा
- मानव संसाधन रणनीति को कारोबार रणनीति व योजना के अनुकूल बनाना

आज की तारीख तक इस समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

- श्री किशोर खरात – प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- श्री बी. के. बत्रा – उप प्रबंध निदेशक
- सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव – सरकारी निदेशक
- श्री एस. रवि – स्वतंत्र निदेशक

XI. वसूली समीक्षा समिति

भारत सरकार के निदेशों / बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार एनपीए , भारग्रस्त खातों, बट्टे खाते डाले गए मामलों , ओएल मामलों, डीआरटी मामलों आदि की समीक्षा करने के लिए वसूली समीक्षा समिति गठित की गई है. आज की तारीख तक इस समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

- श्री किशोर खरात – प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- श्री बी. के. बत्रा – उप प्रबंध निदेशक
- सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव – सरकारी निदेशक
- श्री एस. रवि – स्वतंत्र निदेशक
- श्री पंकज वत्स – स्वतंत्र निदेशक

XII. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआरसी)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार बोर्ड द्वारा 30 दिसंबर 2013 को आयोजित अपनी बैठक में बोर्ड की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया गया था. सीएसआर समिति की प्राथमिक जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं :

- क) एक कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति तैयार करना जिसमें कंपनी अधिनियम , 2013 की अनुसूची VI में उल्लेख के अनुसार बैंक द्वारा की गई गतिविधियां उल्लिखित की जाएंगी और बोर्ड से सिफारिश करना;
- ख) खंड (क) में संदर्भित गतिविधियों पर उपचित होने वाले व्यय की राशि के लिए सिफारिश करना; और
- ग) समय-समय पर बैंक की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की निगरानी करना.

आज की तारीख तक इस समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

- श्री किशोर खरात – प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- श्री बी. के. बत्रा – उप प्रबंध निदेशक
- श्री निनाद कर्पे – स्वतंत्र निदेशक
- श्री पंकज वत्स – स्वतंत्र निदेशक

XIV. स्वतंत्र निदेशकों की समिति

कंपनी अधिनियम , 2013 की अनुसूची IV के अनुसार 30 अप्रैल 2014 को आयोजित बोर्ड की बैठक जिसमें बैंक के स्वतंत्र निदेशक भी शामिल हुए , में स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति का गठन किया गया . कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार समिति की प्राथमिक जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं :

- i. गैर-स्वतंत्र निदेशकों और सम्पूर्ण बोर्ड के कार्यनिष्पादन की समीक्षा;
- ii. बैंक के कार्यपालक और गैर- कार्यपालक निदेशकों के नजरिए को ध्यान में रखते हुए बैंक के अध्यक्ष के कार्यनिष्पादन की समीक्षा; और
- iii. बोर्ड को अपने दायित्वों के प्रभावी और समुचित रूप से निष्पादन हेतु प्रबंधन से बोर्ड के लिए सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का आकलन.

आज की तारीख तक इस समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

- श्री एस. रवि – स्वतंत्र निदेशक
- श्री निनाद कर्पे – स्वतंत्र निदेशक
- श्री पंकज वत्स – स्वतंत्र निदेशक
- श्री ज्ञान प्रकाश जोशी – स्वतंत्र निदेशक

XV. असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति (एनबीआरसी)

दिनांक 22 दिसंबर 2014 के रिज़र्व बैंक परिपत्र के अनुसरण में 06 फरवरी 2015 को असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति का गठन किया गया , जिसमें प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अध्यक्ष तथा दो स्वतंत्र निदेशक हैं. यह समिति असहयोगी उधारकर्ता समिति द्वारा उधारकर्ताओं को असहयोगी के रूप में वर्गीकृत करने , कारण बताओं नोटिस जारी करने आदि संबंधी दिए गए आदेशों / निर्णयों की समीक्षा करेगी . आज की तारीख तक इस समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

- श्री किशोर खरात – प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- श्री एस. रवि – स्वतंत्र निदेशक
- श्री पंकज वत्स – स्वतंत्र निदेशक

XVI. इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति (डब्ल्यूडीआरसी)

दिनांक 07 जनवरी 2015 के रिज़र्व बैंक परिपत्र के अनुसरण में 06 फरवरी 2015 को इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति का गठन किया गया , जिसमें प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अध्यक्ष तथा दो स्वतंत्र निदेशक हैं . यह समिति इरादतन चूककर्ता समिति द्वारा उधारकर्ताओं को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने , कारण बताओं नोटिस जारी करने आदि संबंधी दिए गए आदेशों / निर्णयों की समीक्षा करेगी . आज की तारीख तक इस समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

- श्री किशोर खरात – प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- श्री एस. रवि – स्वतंत्र निदेशक
- श्री निनाद कर्पे – स्वतंत्र निदेशक
